संख्या 603/5–9–2008–9(23)/07

प्रेषक,

राजीव कपूर,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

2–महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2008

**विषयः–** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के अन्तर्गत शासी निकाय, कार्यकारी समिति, कार्यक्रम क्रिवान्यन समिति एवं कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार प्रदत्त किया जाना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग–9

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 25–01–2008 में लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सदस्य कार्यकारी समिति, स्टेट हेल्थ सोसाइटी को वित्तीय अधिकारी प्रदत्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 1349/5–9–07–9(32)-07, दिनांक 17 अप्रैल, 2007 एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए तात्कालिक प्रभाव से राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर निम्नवत् प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते है :–

**2–राज्य स्तर पर प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार :–**

**2.1–कार्ययोजना का अनुमोदन एवं धनराशि को अवमुक्त करना :–**

| मद | प्राधिकार | अधिकारों की सीमा |
|---|---|---|
| (1) राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्ययोजना को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन | शासी निकाय | पूर्ण अधिकार |
| (2) भारत सरकार से अनुमोदित राज्य कार्ययोजना की गतिविधियों पर एकमुश्त अनुमोदन तथा कार्यक्रमवार, जनपदवार आवंटित धनराशियों पर अनुमोदन | कार्यकारी समिति | पूर्ण अधिकार |
| (3) जनपदीय स्वास्थ्य समितियों को धनराशियां अवमुक्त किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | पूर्ण अधिकार |
| (4) जनपद स्तर पर आवंटित धनराशियों के 10 प्रतिशत से अधिक का प्राविधान कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन? | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | पूर्ण अधिकार |

2.2–व्यय के प्रस्तावों पर अनुमोदन :–

| मद | प्राधिकार | अधिकारों की सीमा |
|---|---|---|
| (1) राज्य पी0आई0पी0 में अनुमोदित सामग्री, औषधियों, उपकरणों आदि की आपूर्ति पर अनुमोदन | क्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। | |
| (2) नियत कार्य हेतु कंसल्टेंट (ऑडीटरों सहित) की नियुक्ति एवं भुगतान। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति | पूर्ण अधिकार |
| | संयोजक कार्यकारी समिति | रु0 5.00 लाख प्रति मामला |
| (3) वृहद/नये निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति<br>**टिप्पणी–(अ)** आंकलन का आधार, अनुमोदित टाइप डिजाइन और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों (एस०ओ०आर०एस) पर होना चाहिए।<br>(ब) निर्माण कार्य हेतु राजकीय निर्माण निगम के अतिरिक्त अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है, परन्तु चयनित एजेन्सी ओपेन टेण्डर प्रणाली के अनुसार ही कान्ट्रेक्टर चयनित करेगी।<br>(स) उक्त कार्य राज्य स्तर से, कुछ जनपदों या समस्त जनपदों हेतु किया जा सकता है अथवा डी0एच0एस0 को प्राधिकृत किया जा सकता है।<br>(द) जहां तक सम्भव हो, अनुबन्ध टर्न की आधार (डिजाइन, एक्जीक्यूशन एवं हैण्डिंग ओवर) दिये जायें, जिसमें नो कास्ट ओवर रन एवं पेनाल्टी का ध्यान रखा जाये।)<br>(य) रख–रखाव का कार्य इकाई स्तर की प्रबन्धन समिति को उचित गाइन्डलाइन्स सहित सौंपा जाये। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | पूर्ण अधिकार |
| (4) राज्य स्तर पर लघु निर्माण कार्य मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (भवन रिपेयर एवं विद्युत कार्य सहित)<br>**टिप्पणी:**–स्थापित भवनों के रख–रखाव पर 5.00 लाख प्रति संस्थान/भवन की सीमा तक किये गये व्यय को लघु निर्माण कार्य माना जायेगा। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0) | पूर्ण अधिकार |
| (5) राज्य पी0आई0पी0 में अनुमोदित पदों पर संविदा कर्मियों की तैनाती, कम्पेन्सेशन पैकेज की स्वीकृति, योग्यता, टी0ओ0आर0 आदि सहित। | कार्यकारी समिति | पूर्ण अधिकार |
| **टिप्पणी** :–राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन विभिन्न पदों पर संविदा कर्मी खुले बाजार, नियमित सेवाओं के अधिकारी/कर्मी डेपुटेशन पर तैनात किये जा सकते हैं (संदर्भ–एम0ओ0एच0एफ0डब्लू0 डी0ओ0नं0–37018/6/2003–ई0ए0जी0 (पार्ट–4) दिनांक 20 जून, 2005 | | |
| (6) स्वीकृत संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय के भुगतान पर अनुमोदन/स्वीकृति | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | अनुमोदित राज्य स्तरीय पी0आई0पी0 के बजट सीमा तक का पूर्ण अधिकार |

| मद | प्राधिकार | अधिकारी की सीमा |
|---|---|---|
| टिप्पणी–समस्त संविदा कर्मियों के कार्य का वार्षिक आकलन किया जायेगा, जिसके आधार पर उनका अनुबन्ध नवीनीकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। | सदस्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियां | संविदा कर्मियों हेतु पूर्ण अधिकार (जो संविदा कर्मी उनके कार्यक्रम में कार्य कर रहे हैं)। |
| 7–टी0ए0/डी0ए0 एवं अन्य देय भत्तों की स्वीकृति :–<br>टिप्पणी:–(अ) राज्य स्वास्थ्य समिति के बाइलॉज के आधार पर टी0ए0/डी0ए0 निर्धारित किया जाये। | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | पूर्ण अधिकार |
| (ब) अधिकारी/कर्मी जो राज्य स्वास्थ्य समिति से वेतन प्राप्त कर रहें हैं, उनके टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान समिति के फण्ड से किया जा सकता है। जब तक कि कार्यक्रम विशेष में अलग से एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत प्राविधानित हो। उक्त के अतिरिक्त एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत यदि कार्यक्रम में प्राविधानित है, तो उनको टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान किया जा सकता है। | सदस्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियां | जो संविदा कर्मी उनके अधीन कार्यरत हैं, उनके लिये पूर्ण अधिकार |
| 8–राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी अथवा राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों/कार्यालय अधिकारियों के क्षेत्रीय पर्यवेक्षण हेतु संविदा पर वाहन/टैक्सी लिय जाने पर अनुमोदन।<br>टिप्पणी :–(अ) संविदा पर वाहन लिये जाने का प्राविधान तभी है, जब उक्त वाहन राज्य सरकार द्वारा अथवा प्रोजेक्ट/कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध न हो।<br>(ब) संविदा वाहनों का भुगतान, संविदा कर्मियों का मानदेय, टी0ए0/डी0ए0 तथा कार्यालय व्यय का वहन 6 प्रतिशत प्रबन्धन व्यय हेतु उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0) | अनुमोदित बजट हेतु पूर्ण अधिकार |
| (स) राज्य पी0आई0पी0 में राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर प्राविधानित संविदा वाहनों के वितरण की विस्तृत योजना सम्मिलित किया जाना।<br>(द) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा वाहनों को संविदा पर लिये जाने हेतु ओपेन टेण्डर के माध्यम से मान्यता प्राप्त टैक्सी ऑपरेटरों का एक पैनल गठित किया जाना। | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | अनुमोदित बजट हेतु पूर्ण अधिकार। यदि किसी वाहन का रु0 1 हजार प्रतिदिन से अधिक का भुगतान किया जाना हो, तो उस पर अध्यक्ष कार्यकारी समिति का अनुमोदन आवश्यक है। |
| 9–कार्यालय व्यय यथा–स्टेशनरी, कम्प्यूटर सम्बन्धी सामग्री, कार्यालय उपकरण, कार्यालय फर्नीचर ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट कनेक्शन आदि। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0) | अनुमोदित बजट हेतु पूर्ण अधिकार |
| | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | प्रति मामला रु0 50,000/– तक |
| | सदस्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियॉ | प्रति मामला रु0 10,000/– तक। |

| | | |
|---|---|---|
| 10–अनुमोदित कार्यशालायें/बैठकें आदि (प्रशिक्षण छोड़कर) पर व्यय, कार्यक्रम दिशा निर्देशानुसार तत्सम्बन्धित व्यय सहित। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0) | पूर्ण अधिकार |
| | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | रु0 1.00 लाख तक प्रति मामला |
| | सदस्य सचिव/ निदेशक कार्यक्रम क्रियान्यन समितियाँ | रु0 25,000/– तक प्रति मामला |
| 11–अनुमोदित प्रशिक्षण गतिविधियों पर व्यय अनुमोदित मानकों के आधार पर टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान तथा प्रशिक्षण सामग्री का क्रय एवं अन्य तत्सम्बन्धित व्यय। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0) | पूर्ण अधिकार |
| | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | रु0 5.00 लाख तक प्रति मामला |
| | सदस्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियाँ | रु0 25,000/– तक प्रति मामला |
| 12–विविध व्यय जो उपरोक्त में आच्छादित नहीं है। | अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (प्रमुख सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0) | पूर्ण अधिकार |
| | संयोजक कार्यकारी समिति (निदेशक–मिशन) | रु0 50,000/– तक प्रति मामला |
| | सदस्य सचिव/निदेशक कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियाँ | रु0 1,000/– तक प्रति मामला |

**नोट**–प्रबन्धन व्यय (मद–6, 7, 8, 9, 12) एक वर्ष में कार्यक्रम के अंतर्गत कुल व्यय के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

**3–जनपद स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार :–**

**3.1–कार्य योजना का अनुमोदन एवं धनराशि को अवमुक्त करना :–**

| मद | प्राधिकार | अधिकारों की सीमा |
|---|---|---|
| (1) राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु जनपदीय कार्ययोजना का अनुमोदन<br>(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजनाओं का एकमुश्त अनुमोदन तथा कार्यक्रमवार एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 वार आवंटन पर अनुमोदन | शासी निकाय | पूर्ण अधिकार |
| (3) आर0के0एस0, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अनटाइड फण्ड एवं वार्षिक अनुरक्षण अनुदान मद में अवमुक्त की जाने वाली धनराशियों पर अनुमोदन | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजना में आवंटन के अनुसार पूर्ण अधिकार |

| मद | प्राधिकार | अधिकारों की सीमा |
|---|---|---|
| (4) उक्त क्रमांक–3 के अतिरिक्त चिकित्सालय/चिकित्सालय समितियाँ/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी०एच०सी०/पी०एच०सी०/उपकेन्द्र तथा वी०एच०एस०सी०/एन०जी०ओ० एवं अन्य क्रियान्वयन संस्थाओं को अवमुक्त धनराशियों तथा चिकित्सा अधिकारियों, ए०एन०एम० एवं आशा आदि को दी जाने वाली अग्रिम धनराशियों पर अनुमोदन | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजना में आवंटन के अनुसार पूर्ण अधिकार |

**3.2–व्यय के प्रस्तावों पर अनुमोदन**

| | | |
|---|---|---|
| (1) बृहद/नये निर्माण कार्य जो जनपदीय स्वास्थ्य समिति को प्राधिकृत हैं।<br>**टिप्पणी–(अ)** आंकलन का आधार, अनुमोदित टाइप डिजाइन और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरें (एस०ओ०आर०एस०)<br>**(ब)** निर्माण कार्य हेतु राजकीय निर्माण निगम के अतिरिक्त अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है, परन्तु चयनित एजेन्सी ओपेन टेण्डर/बिडिंग प्रणाली के अनुसार किया जाये, जिसमें राजकीय निर्माण निगम को टेण्डर/बिडिंग प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी जाये।<br>**(स)** जहाँ तक समभव हो कान्ट्रेक्ट टर्न की बेसिस पर दिया जाये, नो कॉस्ट, ओवर रन एवं पेनाल्टी कलास सहित | अध्यक्ष शासी निकाय (जिलाधिकारी) | अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजना में आवंटन के अनुसार पूर्ण अधिकार |
| 2–लघु निर्माण कार्य पर अनुमोदन, मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (भ्सवन रिपेयर एवं विद्युत कार्य सहित)<br>**टिप्पणी**:–स्थापित भवनों के रख–रखाव पर रु० 5.50 लाख प्रति संस्थान/भवन की सीमा तक किए गए व्यय को लघु निर्माण कार्य माना जाएगा। | अध्यक्ष शासी निकाय (जिलाधिकारी)<br>मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जनपदीय चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक | अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजना में आवंटन के अनुसार पूर्ण अधिकार<br>रु० 1.00 लाख तक प्रति मामला |
| 3–चिन्हित चिकित्सा इकाइयों का एफ०आर०यू० /आई०पी०एच०एस० स्तर अथवा 24 X 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उच्चीकरण किये जाने हेतु चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री के क्रय पर अनुमोदन | क्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। | |
| 4–अन्य सामग्री, औषधियों एवं चिकित्सकीय आपूर्ति के क्रय पर अनुमोदन | | |
| 5–नियत कार्यों हेतु कन्सल्टेन्ट (ऑडीटरों सहित) की नियुक्ति एवं भुगतान पर अनुमोदन | जिलाधिकारी | अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजना के अनुसार रु० 5.00 लाख तक प्रति मामला |
| 6–जनपदीय पी०आई०पी० में अनुमोदित पदों पर संविदा कार्मयों की तैनाती, कमपेन्सेशन पैकेज की स्वीकृति सहित।<br>टिप्पणी–जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अधीन विभिन्न पदों पर संविदा कर्मी खुले बाजार, नियमित सेवाओं के | कार्यकारी समिति | राज्य स्वास्थ्य समिति में अंकित मानक/दिशानिर्देश के अनुसार पूर्ण अधिकार |

| | | |
|---|---|---|
| अधिकारी/कर्मी डेपुटेशन पर तैनात किये जा सकते हैं<br>[संदर्भ–एम०ओ०एच०एफ०डब्ल्यू०<br>डी०ओ०नं०–37018/2003–ई०ए०जी०(पार्ट–4) दिनांक 20 जून, 2005] | | |
| 7–स्वीकृत संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय एवं टी०ए०/डी०ए० के भुगतान पर अनुमोदन/स्वीकृति<br>**टिप्पणी** :–(अ) जनपदीय स्वास्थ्य समिति का बाइलॉज के आधार पर टी०ए०/डी०ए० निर्धारित किये जाये, जिसके लिये राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मानक तथा दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें जनपदीय स्वास्थ्य सामेतियॉ सर्वसम्मति प्राप्त कर अनुसरण करेंगी।<br>**(ब)** अधिकारी/कर्मी जो जनपदीय स्वास्थ्य समिति से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके हो टी०ए०/डी०ए० का भुगतान समिति के फण्ड से किया जा सकता है। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी<br>जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी | पूर्ण अधिकार<br>उनके अधीन कार्यरत कर्मियों हेतु पूर्ण अधिकार |
| 8–जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों के क्षेत्रीय पर्यवेक्षण हेतु संविदा पर वाहन/टैक्सी लिये जाने पर अनुमोदन।<br>**टिप्पणी**:–(अ) संविदा पर वाहन लिये जाने का प्राविधान तभी है, जब उक्त वाहन राज्य सरकार द्वारा अथवा प्रोजेक्ट/कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध न हों।<br>**(ब)** संविदा वाहनों का भुगतान, संविदा कर्मियों का मानदेय, टी०ए०/डी०ए० तथा कार्यालय व्यय का वहन 6 प्रतिशत प्रबन्धन हेतु उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अनुमोदित बजट के अनुसार पूर्ण अधिकार |
| **(स)** जनपदीय पी०आई०पी० में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर प्राविधानित संविदा वाहनों के वितरण की विस्तृत योजना सम्मिलित किया जाना। | | |
| **(द)** जनपदीय स्वास्थ्य समिति द्वारा वाहनों को संविदा पर लिये जाने हेतु ओपेन टेण्डर के माध्यम से मान्यता प्राप्त टैक्सी ऑपरेटरों का एक पैनल गठित किया जाना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धकों को उक्त पैनल से संविदा पर वाहन लिये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाये। टेण्डरिंग के पश्चात रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही से पूर्व कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। | | |
| 9–जनपद स्तर पर आयोजित कार्यशालायें/बैठकें आदि (प्रशिक्षण छोड़कर) पर व्यय | जिलाधिकारी | अनुमोदित बजट के अनुसार पूर्ण अधिकार |
| | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | रू० 25,000/–प्रति मामला |
| 10–जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों पर व्यय (मानकानुसार टी०ए०/डी०ए०, ए०वी० उपकरण एवं लॉजिस्टिक्स आदि सहित) | जिलाधिकारी<br>मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अनुमोदित बजट के अनुसार पूर्ण अधिकार<br>रू0 20000/- प्रति मामला |

| मद | प्राधिकार | अधिकारों की सीमा |
|---|---|---|
| 11–कार्यालय व्यय यथा–स्टेशनरी, कम्प्यूटर सम्बन्धी सामग्री, कार्यालय उपकरण, (वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध) कार्यालय फर्नीचर, बॉडबैण्ड, इंटरनेट कनेक्शन एवं अन्य विविध सामग्री जो उपरोक्त में आच्छादित न हो। | जिलाधिकारी<br><br>मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अनुमोदित बजट के अनुसार पूर्ण अधिकार<br>रु० 25,000/-प्रति मामला अनुमोदित बजट के अनुसार |

**नोट–1** उपरोक्त समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार अनुमोदित जनपदीय कार्ययोजना में प्राविधानित मानकों के अनुसार/सीमा में होंगे।

**नोट–2** प्रबन्धन व्यय (मदः–6, 7, 8 एवं 11) एक वर्ष के कुल कार्यक्रम व्यय के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4–कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
राजीव कपूर,
सचिव।

---

**संख्या-603(1)/5-9-2007, तद्दिनांक–1-3-08**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2–मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3–महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
4–प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5–मंत्रि-मण्डीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
8–सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र० शासन।
9–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० शासन।
10–समस्त मण्डलायुक्त/समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र०।
11–समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ०प्र०।
12–निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
13–वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
14–वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
15–समस्त कार्यक्रम अधिकारी/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
16–गार्ड फाइल।

आज्ञा से
एच0 एल0 गुप्ता,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 11 सा० चिकित्सा–19–3–2008–(2661)–2000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर टी0/आफसेट)